सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

चैत्र 07, मंगलवार, शाके 1945-मार्च 28, 2023

Chaitra 07, Tuesday , Saka 1945- March 28, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

आदेश

जयपुर, मार्च 24, 2023

संख्या एफ 1/ आरटीयू/यूनियन बहाली/2023/5134 :-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.1/आरटीयू/रिर्टन/2000-2005/निरस्तीकरण /2004/19174 दिनांक 09.07.2010 के द्वारा पंजीकृत व्यवसायिक संघो को व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 की धारा-28 के अन्तर्गत निर्धारित फार्म "डी" में वार्षिक आय.व्यय विवरण प्रस्तुत नही करने के कारण अधिनियम की धारा-10 के प्रावधानुसार उनके पंजीयन को निरस्त (रद्द) कर दिया गया था।

उक्त आदेश के साथ संलग्न सूची मे क्रम संख्या 760 में अंकित श्रम संघ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उन्हे दिनांक 30.08.2008 को जारी किया गया कारण बताओं (शॉ.काज) नोटिस प्राप्त नही हुआ जबकि वह लगातार अपने सदस्यों के हितार्थ कार्य कर रहे है। यूनियन का पंजीयन दिनांक 24.10.1986 को हुआ था। वर्ष 1987 से वर्ष 1999 तक लगातार वर्ष की समाप्ति पर रिर्टन प्रस्तुत करते रहे है। परन्तु यूनियन के पूर्व पदाधिकारियों को नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण वर्ष 2000 से आगामी वर्षो की रिर्टन समय पर प्रस्तुत नहीं कर सकें। यूनियन समय-समय पर आमसभा बैठके, चुनाव आदि की कार्यवाही कर अपने सदस्यों के हितार्थ कार्य कर रहा है। यदि यूनियन को नोटिस प्राप्त हो जाता तो वे नियत वर्षो की रिर्टन निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर देते। रिर्टन भेजने में जो भूल हुई है उसकी वह भविष्य में पुनरावृति नहीं करेगें। यूनियन के महामंत्री द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र नॉटरी पब्लिक से तस्दीक कराकर प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि संगठन की कार्यकारिणी एवं चल.अचल सम्पतियों का कोई विवाद किसी भी न्यायालय में वर्तमान में लम्बित नहीं है।

श्रम संघ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना.पत्र एवं उसके साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा दिनांक 24.03.2023 को सुना गया। प्रार्थना पत्र में दिये गये कारणों/स्पष्टीकरण से मैं सन्तुष्ट हूँ। वर्ष की समाप्ति पर रिर्टन प्रस्तुत नहीं करना एक मानवीय भूल मानकर मैं पी.पी.शर्मा, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन एवम अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई.आर.) राजस्थान, जयपुर इस कार्यालय के आदेश 1/आरटीयू/रिर्टन/2000-2005/निरस्तीकरण/2004/19174 दिनांक 09.07.2010 मे संलग्न सूची में अंकित श्रम संघ का नाम उक्त आदेश से विलोपीत करने एवं निरस्त किये गये पंजीयन को बहाल करने का आदेश देता हूँ। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

पंजीयन बहाल किये गये श्रम संघ का विवरण

क्र.सं.	श्रम संघ का नाम एवं पता	पंजीयन संख्या एवं दिनांक	आदेश दिनांक में अंकित क्रम संख्या
1.	दी जोधपुर ट्रक ऑपरेटर युनीयन II फेस इन्डस्ट्रीज एरीया, ट्रांसपोर्ट नगर, बासनी जोधपुर (राजस्थान)।	जेडीएच/डीआरटीयू/11/1986 दिनांक 24.10.1986	760

पी.पी.शर्मा,
रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन एवम,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई.आर.),
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।